

यदि मैं वी डी यू पर काम करता हूँ तो क्या मुझे नजर की जांच कराने का हक है? (Am I entitled to an eyesight test if I work on a VDU?)

हैल्थ एन्ड सेफ्टी (डिस्प्ले स्क्रीन इक्विपमेन्ट) रेग्यूलेशन 1992 में वी डी यू कामों को शामिल किया गया है।

रेग्यूलेशन 5 में नजर की जांच कराने की व्यवस्था के लिए रोजगारदाता की जिम्मेदारी के बारे में कहा गया है:

यदि कोई व्यक्ति -

- इन रेग्यूलेशन के लागू होने की तारीख को पहले ही से यूजर है; या
- कोई कर्मचारी जो आदतन डिस्प्ले स्क्रीन उपकरण का उपयोग अपने सामान्य कार्य के खास हिस्से में नहीं करता है, लेकिन जिस संस्थान में वह कार्यरत है उसी में यूजर बनने की सम्भावना है, तो

उसके मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी के अनुरोध करने पर आँख और आँखों की रोशनी की समुचित जाँच कराने की व्यवस्था की जाती है।

गाइडेन्स में बताया गया है कि :

यह सुनिश्चित करना मालिकों का कर्तव्य है कि अनुरोध करने पर आँखों और आँखों की रोशनी की जाँच की व्यवस्था कराए :

- अपने उन कर्मचारियों के लिए जो इस रेग्यूलेशन के लागू होने के समय पहले ही से यूजर थे;
- और (इसके बाद) अपने किसी भी गैरयूजर कर्मचारी को जो यूजर बन सकते हैं।

इन रेग्यूलेशन में रोजगारदाताओं के लिए यह कर्तव्य निर्धारित नहीं किया गया है कि वे ऐसे लोगों के लिए भी आँखों और आँखों की रोशनी की जाँच की व्यवस्था कराएँ जो उनके रोजगार में नहीं हैं, जैसे नौकरी के लिए आवेदक. हालांकि यदि किसी ऐसे व्यक्ति की भर्ती हुई है जिसे डिस्प्ले स्क्रीन पर इतना काम करना पड़ेगा कि वह यूजर बन जाएगा तो रेग्यूलेशन 5(1)(b) लागू हो जाता है. यही नहीं यदि नई भर्ती में आया ऐसा कोई कर्मचारी - किसी दूसरी संस्था में पिछली नौकरी में यूजर रहा हो या नहीं - फिर भी अनुरोध करे, तो नए मालिक द्वारा आँखों और आँखों की रोशनी की समुचित जाँच की व्यवस्था करानी होगी. नई भर्ती में आया कर्मचारी यूजर बने इससे पहले ही यह जाँच की जाए, जैसा कि रेग्यूलेशन 5(2)(b) में अपेक्षित है. इसका मतलब यह नहीं है कि डिस्प्ले स्क्रीन पर कोई काम करने से पहले ही नए भर्ती हुआओं की जाँच की जाए. लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन पर पर्याप्त काम करने से पहले ही उनकी जाँच जरूर करानी होगी (यदि उन्होंने अनुरोध किया है) इसके लिए डिस्प्ले स्क्रीन कार्य को उनके सामान्य कार्य का महत्वपूर्ण भाग समझा जाए.

संदर्भ

L26, Display screen equipment work, (ISBN 0717625826 - एच एस ई बुक्स से प्राप्त किया जा सकता है).

- निशुल्क पत्रक - **Working with VDU's' - free leaflet**